

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 2013—चैत्र 7, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. बी-1-5-2013-2-पांच-(08).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 तथा धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) एवं खण्ड (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क क-2) में, अक्षर, शब्द और अंक “एफ. एल.-1-कककक में अनुज्ञप्ति का धारक विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) का विक्रय उपभोक्ताओं को” के पश्चात्, शब्द “सील बंद बोतलों में करेगा” अन्तःस्थापित किए जाएं.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. बी-1-5-2013-2-पांच-(08).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-05-2013-2-पांच (08), दिनांक 28 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

---

Bhopal, the 28th March 2013

No. B-1-5-2013-2-V (08).—In exercise of the powers conferred by Section 63 and sub-section (1) and clause (d) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1) in clause (aa-2), after the letters, words and figures “The holder of licence in form F. L-1-AAAA shall sell foreign liquor (excluding beer) to consumers” the words “in sealed bottles” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.